

FORM NO. IIIफर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — धौलपुर —

बनाम —————

किस्म मुकदमां — विविध १२१ — नम्बर ————— सन् —————
८५८

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म तारीख में जारी हुये
02.05.22	<p>प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 09 सीपीसी पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी हरविलास विमार होने के कारण न्यायालय में नहीं आ सका एवं वकील वादी अन्य न्यायालय में बहस कर रहे थे, इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सके इसलिए प्रकरण हरविलास बनाम सरकार अदम हाजिरी व पैरवी में खारिज हो गया। वादी प्रकरण को कन्टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया मूल वाद दफ्तर से तलब किया गया है। प्रार्थना पत्र वादी द्वारा पुनः वाद को नम्बर पर लेने बाबत प्रस्तुत किया है। वकील वादी के कथनों को मनन करने व न्याय हित में वादी का दावा पुनः नम्बर पर लिया जाना हम उचित समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादी का मूल वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फेसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।</p>	

६०/
उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)